



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.-NCST/SER-1513/JH/31/2024-SSW

दिनांक: 30.06.2025

सेवा में

Shri Mohan Khalkho,
At New Nagra Toli
PO- Lalpur, PS- Lalpur,
Ranchi, Jharkhand - 834001,
(Email priyabarbie70@gmail.com Mobile No:7488325620)

विषय: खेल, कूद एवं युवा कार्य विभाग राँची(झारखंड) द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी का बकाया राशि भुगतान न करने के संबंध में -श्री मोहन खलखो, सेवा निवृत्त लिपिक, खेल, कूद एवं युवा कार्य विभाग राँची(झारखंड)का दिनांक 24.08.2024 का अभ्यावेदन।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि इस प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा संबंधित प्राधिकारीगण के साथ दिनांक **07 जुलाई 2025 (सोमवार)** को **12.00 बजे** आयोग मुख्यालय में सिटिंग/सुनवाई निश्चित की है। तदनुसार संबंधित प्राधिकारी को अलग से समन/सिटिंग नोटिस भेज दिया गया है। अतः आप से अनुरोध है कि आप भी प्रकरण के दस्तावेज सहित उक्त सिटिंग में समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच.आर.मीना/H.R.Meena)

अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

दूरभाष/Tele: 011-24615012

E-mail : hari.rammeena@ncst.nic.in

Copy to:-

NIC for uploading